

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 2512840

ई मेल: apecf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-645/2397

रायपुर, दिनांक 27/07/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, मनेन्द्रगढ़
छत्तीसगढ़

विषय: — Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for widening & upgrading to 2 Lane with paved shoulder of NH-78 (New NH-43) Katni – Gumla Road from Manendragarh to Dumariya (Baikunthpur) under NH corridor scheme in the State of Chhattisgarh, area – 36.99 ha. – regarding

पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/21393/2016

- संदर्भ: 1. वन मंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का पत्र क्रमांक/मा.धि/2018/1258 दिनांक 06.07.2018
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर का पत्र क्र/कैम्पा/1138/8 दिनांक 17.07.2018

= 0 =

कार्यालयीन पत्र दिनांक 15.06.2018 द्वारा की गई प्रेक्षा के पालन में संदर्भ पत्र-1, संदर्भ पत्र-2 के संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ है। पत्र के बिन्दु क्र. 7 का अवलोकन हो जिस पर निर्देश के बावजूद पुनः पी.एफ में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है, जो मान्य नहीं है। इसके स्थान पर समतुल्य गैर वन क्षेत्र अथवा दुगुना राजस्व वन क्षेत्र अथवा दुगुना नारंगी वन क्षेत्र का चयन किया जाए। यदि नवीन चयनित क्षेत्र में व्यपवर्तित की जा रही भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर प्रति हे. 1000 पौधे के मान से रोपण करने हेतु पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध न हो तो शेष पौधे आर.एफ/पी.एफ में लगाये जा सकते हैं।

तदनुसार डी.जी.पी.एस सर्वे रिपोर्ट मय सी.डी प्रेषित करे।

(मुख्य वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पू. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-645/2398

रायपुर, दिनांक 27/07/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर।

(मुख्य वन संरक्षक)

वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़